

**कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), बाँसवाड़ा (राज.)**

क्रमांक : एफ 32 (1) रसद/खाद्य सुरक्षा/आवंटन/2016/ 113

दिनांक : 15/02/2017

**उप-आवंटन आदेश**

**राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013**

खाद्य विभाग के आवंटन आदेश क्रमांक एफ 13 (1) खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2016 दिनांक 28/11/2016 के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों (अन्त्योदय परिवारों सहित) हेतु जिले को माह जनवरी, 2017 से मार्च 2017 हेतु प्रतिमाह 9231 एम.टी. गेहूँ का आवंटन प्राप्त हुआ है। थोक संस्थाओं के पास 891.64 एमटी गेहूँ माह फरवरी 2017 में बाद वितरण अवशेष है। इसमें राजस संघ के पास 388.58 एमटी, कय विक्रय सहकारी समिति गढी के पास 68.66 एमटी, केवीएसएस बांसवाड़ा के पास 64.70 एमटी, उपभोक्ता भंडार के पास 265.60 एमटी एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. के पास 104.10 एमटी गेहूँ स्टॉक में उपलब्ध है। इसमें 723.48 एमटी गेहूँ माह नवंबर एवं दिसंबर 2016 में पोस मशीन से वितरण करने पर उचित मूल्य दुकानदारों के पास अवशेष गेहूँ की कटौती करने से प्राप्त हुआ है। उक्त 723 एमटी गेहूँ को समर्पित कर माह मार्च 2017 के आवंटन से कम करने हेतु अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को पत्र लिखा जा रहा है। पंचायत समितियों एवं शहरी निकायों से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार जिले में खाद्य सुरक्षा हेतु पात्र परिवारों की संख्या 382687 है एवं इनकी युनिट 1684164 है, जिसके लिये 9322 एमटी गेहूँ आवश्यक है।

अतः माह मार्च 2017 के लिए 723 एमटी गेहूँ को समर्पित मानते हुए 8508 एमटी गेहूँ का खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं ए.पी.एल के चयनित पात्र परिवारों हेतु थोक विक्रेतावार/तहसील वार उप-आवंटन निम्नानुसार जारी किया जाता है:-

**बी.पी.एल., स्टेट बी पी एल, अन्त्योदय एवं ए.पी.एल. के पात्र परिवारों हेतु माह मार्च 2017 हेतु (मात्रा एमटी)**

नाम थोक विक्रेता	पंचायत समिति	अन्त्योदय कार्ड	35 किलो प्रति राशनकार्ड से आवंटन	अन्य पात्र परिवार	अन्य पात्र परिवारों की युनिट	5 किलो प्रति युनिट से आवंटन	वितरण हेतु आवश्यक मात्रा 4+7	एफ.सी.आई. से उठाव हेतु आवंटित मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
राजस संघ बांसवाड़ा	कुशलगढ	5156	937.13	36294	156564	782.82	4085.81	3705
	सज्जनगढ	6941		32316	157869	789.345		
	न.पा.कुशल.	726		862	2960	14.8		
	आनन्दपुरी	5294		28852	125412	627.06		
	बागीदौरा	4146		22371	102857	514.285		
	गागडतलाई	4512		17345	84074	420.37		
	योग	26775		138040	629736	3148.68		
केवीएसएस एल एस बांसवाड़ा	छोटी सरवन	3704	204.51	16176	68626	343.13	808.205	750
	पं.स. बांसवाड़ा तह. आबापुरा	2139		12011	52113	260.565		
	योग	5843		28187	120739	603.695		
राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति लि.	न.प. बांस.	3883	343.67	8625	36254	181.27	1281.99	1200
	पं.स. बांसवाड़ा तह. बांसवाड़ा	2947		16950	70166	350.83		
	पं.स.तलवाड़ा तह बांसवाड़ा	2989		19308	81244	406.22		
	योग	9819		44883	187664	938.32		
केवीएसएस गढी	गढी	7353	257.36	51943	223902	1119.51	1376.87	1325
उ.थोक भण्डार	घाटोल	10618	371.63	59226	279620	1398.1	1769.73	1528
	महायोग	60408	2114.3	322279	1441661	7208.305	9322.61	8508


**नोट-**

खाद्य विभाग के उपरोक्त आवंटन आदेश के अनुसार आवंटित गेहूँ की उपरोक्त मात्रा का उठाव वितरण माह से पूर्व माह कि अन्तिम तिथि तक किया जाना सुनिश्चित किया जावे। माह मार्च 2017 हेतु आवंटित गेहूँ की मात्रा वितरण हेतु आवश्यक गेहूँ से कम है। इसकी पूर्ति थोक संस्थाओं के पास पूर्व अवशेष गेहूँ से की जावेगी। साथ ही उचित मूल्य दुकानदारों के पास माह जनवरी 2017 में पोस मशीन से वितरण के बाद अवशेष गेहूँ की सम्पूर्ण मात्रा की कटौती माह मार्च 2017 के आवंटन से की जावेगी।

इस सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी :-


1. अन्त्योदय अन्न योजना में चयनित परिवारों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम गेहूं 2 रु. प्रतिकिलो की दर से वितरण किया जावेगा।
2. खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत बी.पी.एल. व स्टेट बी.पी.एल. परिवारों को 2 रु. प्रति किलोग्राम की दर से प्रति व्यक्ति (प्रति युनिट) 5 किलोग्राम गेहूं वितरण किया जावेगा।
3. ए.पी.एल. से चयनित पात्र परिवारों को 2 रु. प्रति किलोग्राम की दर से प्रति व्यक्ति (प्रति युनिट) 5 किलोग्राम गेहूं वितरण किया जावेगा। इन परिवारों की प्रमाणित सूची विकास अधिकारी/स्थानिय निकाय से प्राप्त कर उसके अनुरूप वितरण किया जावे।
4. थोक विक्रेताओं को उचित मूल्य दुकानवार के पास अवशेष गेहूं की सूची पृथक से दी जा रही है। सूची के अनुरूप मात्रा कम कर संबंधित डीलर को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाएगा।
5. गेहूं का वितरण कार्य नये डीजिटल राशन कार्डों पर POS मशीन के द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर ही किया जावेगा।
6. प्रबन्धक, नागरिक आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम में आवंटित खाद्यान्न की राशि जमा कर रिलिज़ ऑर्डर प्राप्त करेंगे।
7. प्रबन्ध खा.ना. आपूर्ति निगम लि. बाँसवाड़ा एवं समस्त थोक विक्रेता खाद्यान्न का उठाव करते समय फ़ैयर एवरेज क्वालिटी अथवा यू.आर.एस. श्रेणी का गेहूं भौतिक रूप से देख कर ही लेंगे। नियमानुसार सैम्पल लिया जावेगा। खराब क्वालिटी गेहूं का उठाव नहीं किया जावेगा।
8. यदि थोक विक्रेता द्वारा किसी उचित मूल्य दुकानदार को खराब गेहूं की आपूर्ति करता है तो उसका वितरण उपभोक्ताओं में नहीं किया जावे तथा थोक विक्रेता खराब गेहूं को अपने स्तर से बदलेगा।
9. सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षकों द्वारा समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को पाबन्द किया जावे कि उनके द्वारा आवंटित माह का खाद्यान्न पूर्व माह की अंतिम तारीख तक उठाया जावे। यदि किन्ही उचित मूल्य दुकानदारों के द्वारा निर्धारित तिथि तक थोक विक्रेताओं के वहां राशि जमा कर खाद्यान्न का उठाव नहीं किया जाता है, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी एवं जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।
10. किसी भी उपभोक्ता को एक से अधिक योजनाओं में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जावेगा।
11. समस्त प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक थोक विक्रेता से प्रतिदिन उठाव व वितरण की सूचना प्राप्त कर रेण्डम आधार पर उचित मूल्य दुकानदारों को आपूर्ति किये जाने वाले गेहूं का भौतिक सत्यापन करेंगे। समस्त प्रवर्तन अधिकारी अपने क्षेत्र में गेहूं वितरण पर निगरानी रखेंगे तथा समय - समय पर प्रभावी निरीक्षण करेंगे।
12. समस्त थोक विक्रेता परिवहन समानीकरण के लेखे प्रत्येक माह की 5 तारीख तक जिला रसद अधिकारी, कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
13. उचित मूल्य दुकानों के सूचना पट्ट पर वितरण की जाने वाली सामग्री की मात्रा, दुकानों के खुलने व बन्द होने का समय, प्रारम्भिक एवं अन्तिम स्टॉक की पूर्ण सूचना प्रतिदिन प्रदर्शित की जावे।
14. उचित मूल्य दुकान पर आवंटन एवं वितरण सम्बन्धी रिकार्ड निरीक्षण के लिए उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही वितरित किये जा रहे खाद्यान्न का नमूना हर समय उपलब्ध रहना चाहिए।
15. उचित मूल्य दुकानों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्टॉक रजिस्टर एवं वितरण रजिस्टर एवं POS मशीन दुकान परिसर में हर समय उपलब्ध रहना सुनिश्चित किया जावे। यह व्यवस्था कठोरता से लागू की जाये।
16. खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण से सम्बन्धित सभी एजेन्सियों द्वारा उक्त आदेश की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जावे। यदि किसी भी एजेन्सी द्वारा अनियमितता करना पाया जाता है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कठोर कार्यवाही की जावेगी।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत चयनित परिवारों को खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त आदेशों की अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करावे।

  
जिला कलेक्टर (रसद),  
बाँसवाड़ा

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं पदेन निदेशक उपभोक्ता मामलात् महोदय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. सांसद महोदय, बांसवाडा- डूंगरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बांसवाडा।
4. जिला प्रमुख महोदय, जिला परिषद, बांसवाडा।
5. विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र बांसवाडा/गढी/घाटोल/बागीदौरा/कुशलगढ।
6. प्रधान, पंचायत समिति, बांसवाडा /घाटोल/गढी /बागीदौरा/छोटी सरवन /कुशलगढ /सज्जनगढ/ आनन्दपुरी/तलवाडा/अस्थुना/गांगडतलाई।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बांसवाडा उक्त आवंटन आदेश की प्रतियां जिला परिषद की सामाजिक एवं न्याय समिति के सदस्यों को भी उपलब्ध करावें।
8. उपखण्ड अधिकारी, बांसवाडा/ घाटोल/गढी/बागीदौरा/कुशलगढ/सज्जनगढ/आनन्दपुरी/छोटी सरवन।
9. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी बांसवाडा को दैनिक समाचार पत्रों में समाचार आईटम के रूप में प्रकाशन हेतु।
10. उपनिदेशक सूचना प्रौद्योगिकि एवं संचार विभाग बांसवाडा को जिले के वेब पोर्टल पर डालने हेतु।
11. तहसीलदार, तहसील बांसवाडा /छोटी सरवन/ आम्बापुरा/घाटोल/गनोडा/गढी/बागीदौरा/आनन्दपुरी /गांगडतलाई/ कुशलगढ/सज्जनगढ।
12. विकास अधिकारी पंचायत समिति बांसवाडा /गढी/घाटोल/बागीदौरा/आनन्दपुरी/सज्जनगढ/कुशलगढ/छोटी सरवन /तलवाडा/अस्थुना/गांगडतलाई।
13. क्षेत्र प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम उदयपुर।/सहायक प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम बांसवाडा।
14. प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक, बांसवाडा/घाटोल/गढी/कुशलगढ/बागीदौरा को वितरण पर पूर्ण सतर्कता हेतु।
15. प्रबन्धक, राजस्थान राज्य एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, बांसवाडा।
16. क्षेत्रीय प्रबन्धक राजस संघ बांसवाडा।
17. मुख्य व्यवस्थापक स.उ.थोक भण्डार बांसवाडा।
18. मैनेजर,क्र.वि.स.स. बांसवाडा/परतापुर।
19. समस्त उचित मूल्य दुकानदार जिला बांसवाडा द्वारा सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक को पालनार्थ।
20. लेखा, अनुभाग कार्यालय हाजा।

  
जिला रसद अधिकारी,  
बांसवाडा